# न्यायालय जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मुत.( 6ए )संख्या 29/24 तारीख रुज्जू–01/10/24

1. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह मीना – प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा निवासी जैन मंदिर के पास गंगापुर सिटी। –अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

–: निर्णय :– दिनांक 19/11/24

प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 01/10/2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 19/09/2024 को घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत् गंगापुर सिटी शहर व आसपास क्षेत्र में आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। निरीक्षण के दौरान मौके पर श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा निवासी जैन मंदिर के पास से जब्तशुदा 59 गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण **(Confiscate)** किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि दिनांक 19.09.2024 को घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत् गंगापुर सिटी शहर व आसपास क्षेत्र में आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। निरीक्षण के दौरान मौके पर श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा निवासी जैन मंदिर के पास गंगापुर सिटी उपस्थित मिलें। जिन्होने दुकान को निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के दौरान मौके पर दुकान में दो भारत गैस कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर, पांच बिना मार्क किये गए छोटे गैस सिलेण्डर (लाल रंग) जिस पर पावर किंग अंकित था , एक बिना मार्क किया गया छोटा सिलेण्डर (लाल रंग) भण्डारित किये हुए पाये गये, साथ ही दुकान परिसर के पास स्थित श्री मुकेश शर्मा के गोदाम की तलाशी/निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर गोदाम में 18 एचपी गैस कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर, 9 भारत गैस कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर ,4 इण्डेन गैस कम्पनी के व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 भारत गैस कम्पनी के व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 भारत गैस कम्पनी के घरेलू छोटे गैस सिलेण्डर,1 भारत गैस कम्पनी का छोटा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर,1एचपी गैस कम्पनी का छोटा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 14 बिना मार्क किये गए छोटे गैस सिलेण्डर (लाल रंग), 2 बिना मार्क किये गए छोटे गैस सिलेण्डर (नीला रंग) भण्डारित पाये गये। श्री मुकेश कुमार शर्मा से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारें में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। पूछताछ में श्री मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उसे गैस एजेन्सी द्वारा सिलेण्डर उपलब्ध करवाये जाते है जिनको उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, उपभोक्ताओं से किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं लिये जाते है। मौके पर उपस्थित श्री मुकेश कुमार शर्मा द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित 59 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

19/11/24

| . | नाम कम्पनी | घरेलू/व्यवसायिक | शुद्ध गैस वजन (कि0ग्रा0) |
|---|---|---|---|
| | एचपी गैस | घरेलू | 0.42 |
| | एचपी गैस | घरेलू | 0 |
| | एचपी गैस | घरेलू | 0 |
| | एचपी गैस | घरेलू | 0.21 |
| | एचपी गैस | घरेलू | 0 |
| | एचपी गैस | घरेलू | 0.03 |
| . | एचपी गैस | घरेलू | 0.03 |
| . | एचपी गैस | घरेलू | 0.11 |
| ). | एचपी गैस | घरेलू | 0.93 |
| 0. | एचपी गैस | घरेलू | 1.07 |
| 1. | एचपी गैस | घरेलू | 0 |
| 2. | एचपी गैस | घरेलू | 0.074 |
| 3. | एचपी गैस | घरेलू | 0 |
| 4. | एचपी गैस | घरेलू | 0.02 |
| 5. | एचपी गैस | घरेलू | 0 |
| 6. | एचपी गैस | घरेलू | 14.02 |
| 7. | एचपी गैस | घरेलू | 14.40 |
| 8. | एचपी गैस | घरेलू | 14.26 |
| 9. | भारत गैस | घरेलू | 0.3 |
| 0. | भारत गैस | घरेलू | 0.14 |
| 1. | भारत गैस | घरेलू | 0.31 |
| 2. | भारत गैस | घरेलू | 0.27 |
| 3. | भारत गैस | घरेलू | 0.05 |
| 4. | भारत गैस | घरेलू | 0 |
| 5. | भारत गैस | घरेलू | 0.31 |
| 6. | भारत गैस | घरेलू | 0.31 |
| 7. | भारत गैस | घरेलू | 0.21 |
| 8. | भारत गैस | घरेलू | 8.92 |
| 9. | भारत गैस | घरेलू | 14.11 |
| 0. | इण्डेन गैस व्यवसायिक | व्यवसायिक | 0.14 |
| 1. | इण्डेन गैस व्यवसायिक | व्यवसायिक | 0.05 |
| 2. | इण्डेन गैस व्यवसायिक | व्यवसायिक | 0.16 |
| 3. | भारत गैस व्यवसायिक | व्यवसायिक | 0.21 |
| 4. | भारत गैस छोटा | घरेलू | 0.98 |
| 5. | भारत गैस छोटा | घरेलू | 4.2 |
| 6. | भारत गैस छोटा | व्यवसायिक | 4.78 |
| 7. | एचपी गैस छोटा | व्यवसायिक | 4.29 |
| 8. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 9. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 0. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 1. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 2. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 3. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 4. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 5. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 6. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 7. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 8. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 9. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |

19/11/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 51. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 52. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 53. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 54. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 55. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 56. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 57. | बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 58. | बिना मार्का निला रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |
| 59. | बिना मार्का निला रंग का छोटा सिलेण्डर | — | 0 |

अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीव्यूशन) ऑर्डर– 2000 के क्लॉज 3 ( c ), 7 (1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है, साथ ही पेरोकार रसद ने उक्त जब्तशुदा 59 गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 के अर्न्तगत समपहरण (Confiscate) करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी भारद्वाज एन्टरप्राईजेज जैन मन्दिर गंगापुर सिटी के नाम से दुकान करता है। जिसका पंजीयन क्रमांक 6107/98 (बी) है जिस पर वह गैस चूल्हे रिपेयर व विक्रय व बिजली का सामान विक्रय करता है। अप्रार्थी की दुकान अप्रार्थी के मकान के बाहर ही है जो मौहल्ले पर तिराहे पर है। दिनांक 19.09.2024 को श्री सुरेन्द्रसिंह मीना प्रवर्तन अधिकारी निरीक्षक द्वारा घरेलू व्यावसायिक दुरूपयोग की रोकथाम हेतु अप्रार्थी की दुकान पर कार्यवाही कर तल पट्टी अनुसार जो इण्डेन, एच0पी0 व भारत गैस एवं बिना मार्का गैस के सिलेण्डर जप्त करना बताया है ,वह कार्यवाही पूर्णतया गलत रूप से विधि विरूद्ध की गयी है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दौराने फर्द जप्ती कार्यवाही मौके पर नहीं कर पुलिस का भय दिखाकर अप्रार्थी से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। अप्रार्थी केवल अपनी दुकान पर गैस चूल्हा रिपेयर करने तथा विक्रय करने एवं बिजली का सामान विक्रय करने का कार्य करता है। अप्रार्थी अपनी दुकान पर किसी को भी गैस सिलेण्डर बेचान का कार्य नहीं करता है वह केवल व्यवसायिक सिलेण्डर दुकान पर रिपेयर, चूल्हे चैक करने के काम मे लेता है। अप्रार्थी उनसे कोई रिफलिंग या विक्रय का कार्य नहीं करता है। अप्रार्थी जैन मन्दिर तिराहे पर दुकान करता है वहां पर सिलेण्डर सप्लाई होती है उस मौहल्ले में गलियॉ बहुत सकड़ी है, उन गलियों में वितरकों की पिकअप गाडी सप्लाई के लिए नहीं पहुॅच पाती इस कारण उस मौहल्ले के उपभोक्ता अप्रार्थी की दुकान पर खाली सिलेण्डर रख जाते है और एजेन्सी के वितरक वहीं पर से खाली सिलेण्डर लेकर भरा दे जाते है और शाम को या दूसरे तीसरे दिन आकर उपभोक्ता अप्रार्थी की दुकान से ले जाते है। अप्रार्थी की दुकान व मकान मौहल्ले के तिराहे पर होने के कारण अपने मौहल्ले वासियों से मना नहीं कर पाता है। अप्रार्थी के पास प्रर्वतन अधिकारी ने जितने भी सिलेण्डर जप्त किये है। उनके कनेक्शन व उपभोक्ताओं के नाम व कन्जूमर नम्बर, गैस की डायरी एवं आधार नम्बर की फोटो कॉपी संलग्न है। जो छोटे चार सिलेण्डर भारत गैस के बताये गये है वह श्री कृष्ण भारत गैस एजेन्सी बाटोदा के रखे हुए थे तथा जो 22 सलेण्डर छोटे जो बिना मार्का वाले बताये गये है, उनसे अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। अप्रार्थी से किसी प्रकार की कोई लीगल जप्ती नहीं हुई है। अप्रार्थी से दबाव में हस्ताक्षर करवाये गये है। अप्रार्थी ने उक्त सिलेण्डरों के कनेक्शन के दस्तावेज मंगवाकर प्रवर्तक निरीक्षक को दे दिये थे। परन्तु प्रर्वतक निरीक्षक ने गलत रूप से जबाबदार के विरूद्ध उक्त मुकदमा बनाने के लिये विधि विरूद्ध डरा धमकाकर खाली कागजों में हस्ताक्षर करवाकर अपने मनमुताविक जप्ती तैयार की है। अप्रार्थी जबाबदार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एवं लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ) आर्डर का किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया है,साथ ही वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी (पेरोकार रसद) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

19/11/24

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.09.2024 को जॉच के दौरान 59 गैस सिलेण्डर जप्त किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार रसद द्वारा कहे गये कथन से होती है। अप्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस अवगत कराया कि अप्रार्थी जैन मन्दिर तिराहे पर दुकान करता है, वहां पर सिलेण्डर सप्लाई होती है तथा उस मौहल्ले में गलियॉ बहुत सकड़ी है,उन गलियों में वितरकों की पिकअप गाडी सप्लाई के लिए नहीं पहुँच पाती है।इस कारण उस मौहल्ले के उपभोक्ता अप्रार्थी की दुकान पर खाली सिलेण्डर रख जाते है और एजेन्सी के वितरक वहीं पर से खाली सिलेण्डर लेकर भरा दे जाते है और शाम को या दूसरे तीसरे दिन आकर उपभोक्ता अप्रार्थी की दुकान से ले जाते है। उक्त कम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र में अंकित गैस सिलेण्डर में शुद्ध गैस वजन के अनुसार 7 गैस सिलेण्डर तथा बिना मार्का लाल रंग का छोटा सिलेण्डर 20 , बिना मार्का नीला रंग का छोटा सिलेण्डर 2 पूर्णत खाली है, उक्त 22 छोटे सिलेण्डर से अप्रार्थी स्वयं ने अपना कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं होना बताया है, शेष 37 सिलेण्डर जो फर्द मौका मय फर्द जब्ती के अनुसार ना तो पूर्णता खाली है नाही पूर्णता भरे हुए है। अतः वकील अप्रार्थी का उक्त कथन भ्रामक प्रतीत होता है। वकील अप्रार्थी द्वारा छोटे चार सिलेण्डर भारत गैस के श्री कृष्ण भारत गैस एजेन्सी बाटोदा के होना अवगत कराया है तथा अपने कथन के सर्मथन में श्री कृष्णा भारत गैस एजेन्सी का नियुक्ती पत्र दिनांक 11.06.2022 प्रस्तुत किया है। उक्त पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त पत्र दिनांक 11.06.2022 के अनुसार नियुक्ति पत्र की समय सीमा केवल 1 वर्ष थी। जो 10.06.2023 को ही समाप्त हो चुकी है। पत्रावली में संलग्न फर्द अप्रार्थी के बयान में अप्रार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है कि '' गैस एजेन्सी द्वारा 900 रू0 में घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि0ग्रा0) दिया जाता है फिर अप्रार्थी उपभोक्ताओं को 950 रू0 में बेचता है'' तथा अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर रिपेयरिंग व भण्डारण संबंधित कोई भी दस्तावेज/राजस्व अभिलेख न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये कुल 59 गैस सिलेण्डर को समपहरण **(Confiscation)**किया जाता है। जिला रसद अधिकारी गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 59 गैस सिलेण्डर का निस्तारण करवाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह में इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/11/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी